राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 13(257)परावि/विधि/एसबीरिट/जोध उच्च/2018/643 जयपुर दिनांक: 20/03/2020

श्री सुनील बेनीवाल,
अतिरिक्त महाधिवक्ता,
राजस्थान उच्च न्यायालय– जोधपुर।

विषयः– एस बी सिविल रिट 14053/2017 बिनूकांत शुक्ला बनाम राज्य के संबंध में।

संदर्भः– आपका पत्रांक दिनांक 04.03.2020

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रासंगिक पत्र के संबंध में निवेदन है कि कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बोनस अंकों के प्रकरण में हस्तक्षेप नहीं करने के निर्देशों के बाद वर्ष 2017 में संशोधित वरियता सूची जारी कर सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किये जा चुके थे, जिनमें 8911 अभ्यर्थियों द्वारा कार्यग्रहण किया जा चुका है एवं जो 10029 पद रिक्त रहें है, वह अभ्यर्थियों द्वारा कार्यग्रहण नही करने से रहे है। जबकि नियमानुसार प्रतीक्षा सूची छः माह तक वैद्य रहती है। जो अवधि निकल चुकी है। उक्त 10029 पदों को भरकर भर्ती पूर्ण करने के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा भर्ती अपूर्ण कहते हुए अनावश्यक वाद दायर किये जाते है। जबकि भर्ती पूर्ण हो चुकी है।

अतः माननीय न्यायालय के समक्ष यह तथ्य लाना उचित होगा कि नियमानुसार उक्त भर्ती पूर्ण हो चुकी है।

20/3/2020

(डॉ. प्रेम सिंह चारण)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (iii)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (तृतीय) मुख्यालय।
2. समस्त मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
3. एसीपी मुख्यालय, वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

20/3/2020

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (iii)

Scanned with CamScanner